उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: 294 /05/E-05/DR/FG/2022-23 दिनाँक :: 17 मार्च, 2023

विस्तृत विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– A-2/E-5/DR/FG/2022-23, दिनाँक 21 अक्टूबर, 2022 द्वारा विज्ञापित उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा–2022 के विज्ञापन में विज्ञापित वन आरक्षी के पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं उत्तराखण्ड के अनाथ उप श्रेणी के पदों को समेकित रूप से विज्ञापित किया गया था। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–09/XXXVI(3)/2023/ 72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा प्रख्यापित **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022** एवं उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या–179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत **उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता–माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021** व शासनादेश संख्या–11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के आलोक में मा0 आयोग द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 10.03.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड महिला एवं उत्तराखण्ड के अनाथ उप श्रेणी के रिक्त पदों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुए निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

आरक्षण श्रेणी	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
	रिक्त पद	महिला	नि:शक्त (दिव्यांग)	पूर्व–सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	अनाथ
अनारक्षित	473	142	-	45	18	24
अनुसूचित जाति	164	49	-			-
अनुसूचित जनजाति	37	11	-			-
अन्य पिछड़ा वर्ग	126	38	-			-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	94	28	-			-
योग	894	268	-	45	18	24

उपरोक्त अधिनियमों के क्रम में उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा–2022 के पूर्व में जारी उक्त विज्ञापन में विज्ञापित वन आरक्षी के सापेक्ष उत्तराखण्ड महिला एवं उत्तराखण्ड के अनाथ उप श्रेणी के रिक्त पदों को उक्तानुसार संशोधित समझा जाए।

उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन दिनाँक 21 अक्टूबर, 2022 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner